वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2022-23

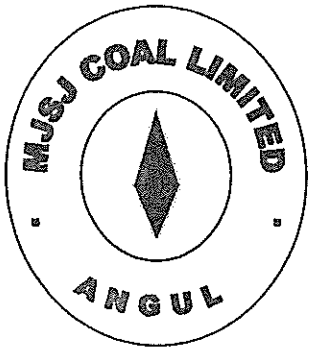

एमजेएसजे कोल लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की अनुषंगी)
(सीआईएन-U10200OR2008GOI010250)
पंजीकृत कार्यालय : बलंडा ट्रांजिट कैम्प, प्रथम तल, पोस्ट- बलंडा,
साउथ बलंडा, तालचर, अंगुल, ओड़िशा - 759116

वार्षिक प्रतिवेदन की विषय सूची : वित्तीय वर्ष 2022-2023

क्रमांक		पृष्ठ सं.
1.	कम्पनी सूचना	1
2.	सूचना	2-3
3.	निदेशक रिपोर्ट	4-10
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	11-21
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	22
6.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	23-27
7.	वर्ष 2022-23 . के लिए वित्तीय विवरण	28-87

कम्पनी की सूचना

निदेशक मंडल

श्री ए.के. बेहुरा(डीआईएन:09712877)	अध्यक्ष (प्रभावी कार्य दिवस 16.09.2022)
श्री एस.के.पाल (डीआईएन:09034709)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
श्री दिपांकर पंडा (डीआईएन:06833507)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
श्री एस.एस. उपाध्याय (डीआईएन:07314313)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 29.07.2016)
श्री चन्द्र प्रकाश टटेड (डीआईएन:08364541)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 17.06.2019)
श्री सुभाजीत सरकार (डीआईएन:09286970)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन:09502251)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
श्री राजीवा बसंत रींगे (डीआईएन:09507096)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: श्री के.एस. सिंह **मुख्य वित्तीय अधिकारी:** श्री एम.आर. मिश्रा **कम्पनी सचिव:** श्री एस.परिडा	सांविधिक लेखापरीक्षक राजेश सराफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंगुल, उड़ीसा सचिवीय लेखा परीक्षक: मेसर्स बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भुवनेश्वर, उड़ीसा बैंकर्स: भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर एक्सिस बैंक, तालचेर

सूचना

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक

सूचना दी जाती है कि एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार , 20 जुलाई, 2023 को सुबह 11.00 बजे एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित हुई / अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम) निम्नलिखित कारोबार करने के लिए है:-

समान्य कार्य:-

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की लेखा परीक्षा तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2023 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना, संशोधन के पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है ।

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमजेएसजे कोल लिमिटेड
ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

स्थान –संबलपुर
दिनांक: 10.07.2023

नोट:-

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार देश में प्रचलित कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, 2014 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022 के साथ; सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 क्रमशः भारत

के (किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय लागू होने वाले पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानून और विनियम, एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग लेने और / या वोट देने के लिए cs.mcl@coalindia.in को ई-मेल भेजकर बैठक में विचार की गई वस्तुओं पर केवल ऐसे स्तर पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी सदस्य नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों द्वारा अधिकृत मेल आईडी से लिंक पहले से प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसरण में कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, विशेष व्यवसाय के संबंध में, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, प्रासंगिक विवरण भी इसके साथ संलग्न है।
4. अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ नोटिस और उसके अनुलग्नक में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 14वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए आवश्यक रजिस्टर, बैठक में शामिल होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक की निरंतरता के दौरान पहुंच सुलभ होगा ।

सदस्यगण : -

1) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, एमसीएल संबलपुर)
2) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएलडब्ल्यूस्टील लिमिटेड, मुम्बई)
3) जेएलडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएलडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई)
4) जेएसएल लिमिटेड, जिंदल केन्द्र, 12, भीकाजी कामा प्लेश नई दिल्ली-110066
(उपस्थित : कंपनी सचिव जेएसएल लिमिटेड, नई दिल्ली)
5) श्याम मैटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड, ट्रिनिटी टावर, 7वां तल, 83 तोपसिया रोड
कोलकाता-700046 (उपस्थित : कंपनी सचिव श्याम लेटलिक और एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता)

लेखा परीक्षगण :-

1 मेसर्स राजेश सराफ एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अंगुल, ओडिशा
2 महानिदेशक, महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य कार्यालय,
लेखापरीक्षक बोर्ड –II ओल्ड निजाम पेलेस, 234/4 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020

सभी निदेशकगण, एमजेएसजे कोल लिमिटेड

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

सज्जनों,

मुझे एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कोयला मंत्रालय के दिनांकः 10 नवंबर, 2005 के पत्र के तहत उत्कल-ए और गोपालप्रसाद वेस्ट कोल ब्लॉक (15 एमटीवाई) को संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसएल स्टेनल्स लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड को क्रमश 60:11:11:09:09 के अनुपात में आवंटित किए गए थे।

आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार, कोल ब्लॉक एंड माइनिंग के विकास के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एमजेएसजे कोल लिमिटेड को शामिल किया गया था। संयुक्त उद्यम के गठन को कोयला मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। जेवीसी में, निदेशकों को एमसीएल, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसएल स्टैनल्स लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड और कोयला मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था।

कंपनी ने समय-समय पर अपने शेयरधारकों से इक्विटी के लिए 60:11:11:09:09 के अनुपात में 95.10 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड - 57.06 करोड़
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड - 10.461 करोड़
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड - 10.461 करोड़
जेएसएल स्टेनल्स लिमिटेड - 8.559 करोड़
श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड- 8.559 करोड़

अपने निगमन के बाद से कंपनी ने भूमि अधिग्रहण, डीजीपीएस सर्वेक्षण, वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करने आदि सहित कोयला ब्लॉक के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया है। 31 मार्च, 2018 तक, भूमि अधिग्रहण पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अमूर्त संपत्ति विकास के तहत कंपनी ने करीब रुपये 75.62 करोड़, का निवेश किया है ।

वर्तमान स्थिति:

24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमानी और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। दो ब्लॉकों में से केवल उत्कल-ए-गोपालप्रसाद कोयला ब्लॉक, जो 204 कोयला ब्लॉकों का हिस्सा था, का भी आवंटन रद्द कर दिया गया।

नामित प्राधिकारी ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को उत्कल-ए-गोपाल प्रसाद कोयला ब्लॉक आवंटित करने के निर्णय से अवगत कराया और पूर्व आबंटिती को देय मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कुछ जानकारी मांगी। पूर्व आबंटिती द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी नए आबंटिती से नामित प्राधिकारी, एमओसी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अमूर्त संपत्ति के लिए खर्च की गई राशि के लिए मुआवजा पाने की हकदार है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन:

उपरोक्त मामले पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी को 2008-09 में निगमित किया गया है और ऐसी कोई गतिविधि अभी तक शुरू नहीं की गई है।

जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण के लिए उचित महत्व निहित जोखिम के कारण एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए दिया जाता है, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हाथ की लंबाई के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और धारा 186 (4) और (11) और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा जारी 13 फरवरी, 2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार किए गए निवेश, दिए गए ऋण या गारंटी के पूर्ण विवरण के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता है दी गई या सुरक्षा प्रदान की गई है और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग ऋण या गारंटी के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का खुलासा किया गया है ।

सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति:

सरकार होने के नाते कंपनी, कंपनी की गतिविधियां सीएजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खुली हैं।

नामांकन समिति:

कंपनी ने अभी तक नॉमिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी विकास के चरण में है, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

पूंजी संरचना:

31.03.2023 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 200.00 करोड़ रुपये है तथा जारी और सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी 95.10 करोड़ रुपये है, जिसे कंपनी के शेयर धारकों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योगदान दिया है: –

(रूपये करोड में)

शेयर धारक का नाम	राशि	शेयरधारिता प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	57.06	60
जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	10.46	11
जे.एस. डब्ल्यू. एनर्जी लिमिटेड	10.46	11
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8.56	9
श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड	8.56	9
कुल	95.10	100

वित्तीय समीक्षा

कंपनी उत्कल ए-गोपालप्रसाद की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अतः कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। खातों से वित्तीय डेटा की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं ।

31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट मद-

(रू. लाख में)

क्रमांक	विशेष	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
1	अधिकृत शेयर पूंजी	20000.00	20000.00
2	पेड अप शेयर पूंजी	9510.00	9510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.29	0.52

4	नकद और नकद समकक्ष (जमा सहित)	2090.43	2006.45
5	चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर)	5958.20	5929.30
6	वर्तमान देनदारियां	565.01	523.32

(रू. लाख में)

क्रमांक	विशेष	चालू वर्ष 2022- 23	पिछल वर्ष 2021-22
1	अन्य आय	112.89	94.31
2	कर से पहले लाभ	70.95	9.05
3	कर व्यय	0.00	0.00
4	कर के बाद लाभ	70.95	9.05

लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2022-23 के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था: -

राजेश सराफ एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
अंगुल, उड़ीसा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत, निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:-

मेसर्स बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी,
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
भुवनेश्वर, उड़ीसा

निदेशक मंडल

श्री ए.के. बेहुरा(डीआईएन:09712877)	अध्यक्ष (प्रभावी कार्य दिवस 16.09.2022)
श्री एस.के.पाल (डीआईएन:09034709)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
श्री दिपांकर पंडा (डीआईएन:06833507)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
श्री एस.एस. उपाध्याय (डीआईएन:07314313)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 29.07.2016)
श्री चन्द्रा प्रकाश टटेड (डीआईएन:08364541)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 17.06.2019)
श्री सुभाजीत सरकार (डीआईएन:09286970)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन:09502251)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
श्री राजीवा बसंत रिगें (डीआईएन:09507096)	निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है।

बैठक क्रमांक	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
62nd	29.04.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
63rd	20.07.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
64th	20.10.2022	एमसीएल कार्यालय,भुवनेश्वर
65th	17.01.2023	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

बोर्ड की संरचना पर विवरण, निदेशकों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति: -

निदेशकों के नाम	वर्ग	बॉर्ड बैठक	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया
श्री के.आर.वासुदेवन	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री ए.के. बेहुरा	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री एस.के.पाल	गैर-कार्यकारी	4	0
श्री दिपांकर पंडा	गैर-कार्यकारी	4	1
श्री एस.एस. उपाध्याय	गैर-कार्यकारी	4	3
श्री चन्द्रा प्रकाश टटेड	गैर-कार्यकारी	4	4
श्री सुभाजीत सरकार	गैर-कार्यकारी	4	3
श्री अनुपम श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी	4	4
श्री राजीवा बसंत रिगें	गैर-कार्यकारी	3	3

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(5) के तहत निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है: -

1. 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियों में बताए गए को छोड़कर)।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि।

3. निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है ।

4. निदेशकों ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को एक सतत आधार पर तैयार किया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं ।

कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 197 के अनुसार आवश्यक जानकारी अनुरोध पर प्रदान की जाएगी। अधिनियम की धारा 136 के अनुसार, रिपोर्ट और लेखे सदस्यों और उसके हकदार अन्य लोगों को भेजे जा रहे हैं, कर्मचारियों के विवरण की जानकारी को छोड़कर जो सदस्यों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी के कार्य दिवस। यदि कोई सदस्य इसका निरीक्षण करने में रुचि रखता है, तो ऐसा सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम रूप से लिख सकता है ।

सी एंड ए जी टिप्पणियाँ:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है, जो स्वयं व्याख्यात्मक हैं और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 204 (1) के तहत आवश्यक है, 2013 कंपनी ने इसके साथ संलग्न एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है।

स्वीकृति

आपके निदेशक कंपनी की प्रगति के लिए अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए सीएमडी, एमसीएल के आभारी हैं।

आपके निदेशक कंपनी के विकास के लिए समय-समय पर प्रदान की गई सहायता और सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक - I)
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक - II)
3. सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक - III)

ह./-

दिनांक: 10.07.2023

(ए.के. बेहुरा)

स्थान -संबलपुर

डी.आई.एन: 09712877

अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

मत

हमने एमजेएसजे कोल लिमिटेड का विवरणों वित्तीय स्टैंडअलोन साथ-साथ के ("कंपनी")लेखा ,है किया परीक्षा-202 मार्च 31 जिसमें3 तक की बैलेंस शीट ,विवरण का हानि और लाभ लिए के वर्ष हुए समाप्त बाद उसके और , किया नोट सहित सारांश के विवरणों वित्तीय को जानकारी व्याख्यात्मक अन्य और नीतियों लेखा महत्वपूर्ण है। गया

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त , ,नियम(मानक लेखांकन भारतीय) और ("अधिनियम") 2013 ,अधिनियम कंपनी विवरण वित्तीय स्टैंडअलोन ") ,संशोधित जैसा ,2015भारतीय लेखांकन मानक लेखांकन अन्य स्वीकृत पर तौर आम में भारत और (" सा के सिद्धांतोंथ पठित अधिनियम की धारा अनुर के मानकों लेखा भारतीय निर्धारित तहत के 133ूप निष्पक्ष दृश्य 2023 ,मार्च 31 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम2013 , की धारा (10)143के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग अनुसार के मानकों पर (एसए) तहत के मानकों उन लिए के लेखापरीक्षा की अनुभाग विवरण वित्तीय के रिपोर्ट हमारी किया। ऑडिट अपना अधिनियम कंपनी हम है। गया किया वर्णित आगे में जिम्मेदारियों की ऑडिटर को जिम्मेदारियों हमारी,2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं,वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम (5)134 धारा की ("अधिनियम") 2013 ,में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है 133- धारा की अधिनियम में संबंध के करने तैयार को विवरणों वित्तीय स्टैंडअलोन इन ,के तहत निर्दिष्ट इंडम भारत और प्रदर्शन वित्तीय का कंपनी अनुसार के एएस-ेंं आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत जो वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है का नीतियों लेखा उपयुक्त ; आंतरिक पर्याप्त और ;हाँ विवेकपूर्ण और उचित जो लगाना अनुमान और निर्णय ऐसे ;अनुप्रयोग और चयन

लिए के प्रस्तुति और तैयारी की विवरण वित्तीय जो ,रखरखाव और कार्यान्वयन ,डिजाइन का नियंत्रणों वित्तीय प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो , । हैं मुक्त से विवरण गलत भौतिक और हैं देते दृश्य निष्पक्ष और सही एक कारण के त्रुटि या धोखाधड़ी चाहे

वित्तीय विवरण तैयार करने मेंसंस चालू एक की कंपनी प्रबंधन ,था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैसंस्था कि जो ,,प्रकटीकरण,जैसा कि लागू हो,संस्था से संबन्धित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता हैहै नहीं यथार्थवादी या ,, वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं हमारी जिसमें करना जारी रिपोर्ट की परीक्षक लेखा एक और ,हो कारण के त्रुटि या धोखाधड़ी वह चाहे , आ का स्तर उच्च आश्वासन उचित है। शामिल रायश्वासन है अनुसार के एसए कि है नहीं गारंटी यह लेकिन , त्रुटि या धोखाधड़ी विवरण गलत लगाएगा। पता का विवरण गलत महत्वपूर्ण एक हमेशा ऑडिट एक आयोजित के विवरणों वित्तीय इन ,से रूप समग्र या से रूप व्यक्तिगत यदि है जाती मानी सामग्री या हैं सकते हो उत्पन्न से पर आधारलिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य मामला

(i) कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों जैसे अचल संपत्तियों पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

(ii) प्रबंधन द्वारा विविध लेनदारों ,ठेकेदारों ,ठेकेदारों और अन्य को दिए गए अग्रिमों से शेष राशि पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

(iii) अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1) A कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 143की उप-धारा (11)के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यकता के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश ,2020 ("आदेश)"आवश्यकता के अनुसार ,हमने *"अनुलग्नक-ए"* में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान दिया है।

2) हमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर *"अनुलग्नक-बी"* में दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर संलग्न कर रहे हैं जिसे हम उचित समझते हैं

3) और जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है ,हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में ,उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है।

ग. बैलेंस शीट ,इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए लाभ और हानि का विवरण इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के अनुरूप है।

घ. हमारी राय में कंपनी133 धारा के अधिनियन 2014 नियम (लेखा),नियम भारतीय 7 मानक लेखांकनके तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

ङ. हमें सूचित किया जाता है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा (2)164 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी) 463 आर.एस.ईहै। कंपनी सरकारी एक अनुसार के 2015 जून 5 दिनांक (

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नकदेखें। रिपोर्ट अलग हमारी में "सी-

छ. कंपनी नियम (परीक्षक लेखा और लेखापरीक्षा), परीक्षक लेखा अनुसार के 11 नियम के 2014 में संबंध के मामलों अन्य वाले जाने किए शामिल में रिपोर्ट की, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

1. कंपनी ने नोट 38-के बिंदु संख्या विवरणों वित्तीय एएस इंड स्टैंडअलोन अपने से माध्यम के 1 है। किया खुलासा का प्रभाव के मुकदमों लंबित पर स्थिति वित्तीय अपनी में
2. जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी महत्वपूर्ण नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
3. चूंकि क्षेत्र को कंपनी अधिनियम, (2)125 धारा की 2013के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी भी राशि को फंड में स्थानांतरित करने में देरी नहीं होती है।

iv (a) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं को कोई भी अग्रिम धनराशि या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से)नहीं की गई है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित अथवा अन्य रूप से या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से चिन्हित किए गए अन्य

व्यक्तियों या संस्थाओं को कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से उधार या निवेश या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान नहीं किया है ।

(b) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। लिखित अथवा रूप से कंपनी अंतिम लाभार्थियों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से चिन्हित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी। तथा

(c). ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर निष्पादित जिन्हें परिस्थितियों में उचित और तार्किक माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश या भुगतान की घोषणा नहीं की है।

vi. कंपनी अपने खातों के रखरखाव के लिए कोल नेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है जो एसएपी आधारित नहीं है, और उक्त सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा शामिल नहीं है।

कृते राजेश गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 329392E

ह/-
(सीए राजेश गोयल)
स्वामित्व
सदस्यता सं. 063582
UDIN: 23063582BGYDMX3391

स्थान : अंगुल
दिनांक : 19.04.2023

अनुलग्नक-A

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 2में संदर्भित)

हम 202 मार्च 313 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i)

a) कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है ।
b) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है; इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार और अभिलेखों के स्पष्टीकरण के आधार पर, सीबी (ए एंड डी) अधिनियम / एलए अधिनियम आदि के तहत भूमि हस्तांतरण राजपत्र अधिसूचना आदि के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हालांकि अचल संपत्तियों का शीर्षक (भूमि पट्टा) राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के नाम स्थानांतरित कर दिया गया है, इसे राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में राइट-टू-रिकॉर्ड (आरओआर) के रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।
d) जैसा कि हमें बताया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है
e) "बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)

a) जैसा कि हमें बताया गया है, क्षेत्र द्वारा इन्वेंट्री का रखरखाव नहीं किया जाता है, और इसलिए भौतिक सत्यापन उस पर लागू नहीं होता है।
b) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाते की जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत। नतीजतन, आदेश के खंड (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही खातों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, प् के 186 और 185 धारा की 2013रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और प्रावधान धारा की जमा) अधिनियम कंपनी में संबंध के प्रावधानों प्रासंगिक अन्य या 76 से 73 (स्वीकृति, नियम, से जनता 2015स्वीकार की गई जमाराशियों पर लागू नहीं है। कंपनी लॉ बोर्ड या

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii) (a)) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और क्षेत्र के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खाते में कटौती / अर्जित राशि , बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर और उपयुक्त प्राधिकारी को कोई अन्य वैधानिक बकाया आम तौर पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है। कर और उपकर और अन्य वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और क्षेत्र के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, किसी भी विवाद के कारण

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा क्षेत्र के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं था जिसे सरेंडर किया गया हो या आय के रूप में खुलासा किया गया हो।

मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया का कोई बकाया नहीं है।

(ix) (a) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारक को बकाया राशि के भुगतान में चूक नहीं की है, जैसा कि कंपनी के लिए लागू है।

(b) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

(c) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया है

(d) कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, शॉर्ट टर्म आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया गया है

(e) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(f) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

(x) (a) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया गया है।

(b) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।तदनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(xii) कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और वित्तीय विवरणों आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (a) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(b) लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैरहै। किया नहीं प्रवेश में लेनदेन नकद-

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, -45 धारा की 1934IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे का कोई उदाहरण नहीं है

(xix) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है जो यह इंगित करती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

(xx) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में अव्ययित राशि को स्थानांतरित नहीं किया है। क्योंकि यह क्षेत्र पर लागू नहीं है।

(xxi) ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर राय का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते राजेश गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 329392E

ह/-
(सीए राजेश गोयल)
स्वामित्व
सदस्यता सं. 063582
UDIN: 23063582BGYDMX3391

स्थान : अंगुल
दिनांक : 19.04.2023

अनुलग्नक -B

वर्ष 2021-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013की धारा 143(5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

अनुलग्नक – B (i)

क्रम संख्या	विवरण	लेखापरीक्षक का उत्तर
01.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर की खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ कहा जा सकता है।	हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम अर्थात कोल नेट लेखा प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं ।
02.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
03.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का (अनुदान/सब्सिडी आदि) नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य नहीं है।

अनुलग्नक – B (ii)

क्रम संख्या	विवरण	लेखापरीक्षक का उत्तर
01.	क्या समोच्च मानचित्र को को ध्यान में रखते हुए कोयले के स्टॉक की माप की गई थी। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था?	लागू नहीं
02.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	वर्ष के दौरान कोई विलय पुनर्संरचना/विभाजन/ नहीं।

03.	क्या सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। खाते की निधि के उपयोग का भी जांच किया जाता है।	क्षेत्र में कोई एस्क्रो खाता नहीं है।
04.	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने पर विधिवत विचार गणना की गई है ।	वर्ष के दौरान ऐसी कोई मांग नहीं है।
05.	क्या कोल नेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणीकरण किया गया है।	मामला एमसीएल मुख्यालय में निपटाया जाता है।

कृते राजेश गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 329392E

ह/-
(सीए राजेश गोयल)
स्वामित्व
सदस्यता सं. 063582
UDIN: 23063582BGYDMX3391

स्थान : अंगुल
दिनांक : 19.04.2023

<u>अनुलग्नक-C</u>

कंपनी अधिनियम ,2013 ("अधिनियम ("की धारा 143की उप-धारा 3के खंड)i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2022,कंपनी के रूप में एमजेएसजे कोल लिमिटेड(कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है,। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम ,2013 के तहत डिजाइन, कंपनी की नीतियों का पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ,कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा ,धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने ,सटीकता सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है ,हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया। लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। यह मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारे ऑडिट में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होनेवाली जोखिम का आकलन करना । डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारी लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है,जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों का आकलन शामिल है। चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं ,वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है ,जो उचित विवरण में ,कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है, (2) स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं ;तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण ,उपयोग ,जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है ,का समय पर पता लगाना एवं रोक –थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराईड की संभावना सहित ,त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा ,आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य की अवधि के लिए इस जोकिम के अधीन है जो की स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है ,या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में ,आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए कंपनी के पास अपनी लेखा नीति या प्रक्रिया नियमावली नहीं है । जैसा की हमें सूचित किया गया है ,एमसीएल की सहायक कंपनी होने के नाते ,कंपनी एमसीएल की नीतियों का पालन कर रही है । हालाकि कंपनी के पास उपलब्ध वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया /प्रक्रिया पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वीकृति के संबंध में कोई बोर्ड संकल्प नहीं है ।

कृते राजेश गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 329392E

ह/-
(सीए राजेश गोयल)
स्वामित्व
सदस्यता सं. 063582
UDIN: 23063582BGYDMX3391

स्थान : अंगुल
दिनांक : 19.04.2023

अनुलग्नक -II

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेडके वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 19 अप्रैल 2023 को की गई लेखा परीक्षामें ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर/-
(अतुल प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल), कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 20.06.2023

अनुलग्नक-III

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

एमजेएसजे कार्यालय, बलंदा ट्रांजिटकैंप, प्रथम तल

पोस्ट- बलंदा/साउथ बलंदा तालचेर अंगुल या 759116 IN

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है। कंपनी के बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों, दायर किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है, जो इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय के अधीन है:

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत उन विशिष्ट धाराओं की सीमा तक बनाए गए नियम जिन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं हैं।

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं हैं।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 - रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 - रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 - रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 - रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) विनियम, 1993- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2009- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(vi) मैंने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के तहत कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्रों के लिए किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के मुख्य शीर्ष/समूहों की सूची जैसे:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ख) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किया गया लिस्टिंग समझौता, यदि लागू हो: लागू नहीं

ग) फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948;

घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;

ङ) ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन श्रमिकों आदि से संबंधित औद्योगिक कानून।

च) खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम;

छ) श्रम कानून और कंपनी द्वारा वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मुआवजा, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित वेतन या अनुबंध के आधार पर नियुक्त श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक कानून;

ज) पर्यावरण एवं संरक्षण के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम;

झ) अनुबंधों, मोहरों, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून।

(vii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने, मेरी राय में, कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के बाकी प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों और संगठन के ज्ञापन और लेखों का अनुपालन निम्नलिखित रूप से किया है।

क) विभिन्न वैधानिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का रखरखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियाँ करना;

ख) कंपनी पंजीकार और केंद्र सरकार के पास दाखिल किए जाने वाले प्रपत्र, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प;

ग) कंपनी द्वारा अपने सदस्य लेखा परीक्षकों और कंपनी पंजीकार को दस्तावेजों की सेवा;

घ) बोर्ड बैठक की सूचना;

ङ) सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव पारित करने सहित निदेशकों की बैठक;

च) जहां भी आवश्यक हो, सदस्यों, निदेशक मंडल और सरकारी प्राधिकारियों की मंजूरी;

छ) हालाँकि, आरओसी के साथ दाखिल किए गए कुछ वैधानिक रिटर्न निर्धारित नियत तिथि से परे थे और अतिरिक्त शुल्क के साथ अनुपालन किए गए थे।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची विषय पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले अग्रिम रूप में भेजे गए थे तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पूर्व कार्यसूची के विषय पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कृते विश्वरंजन जेना एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-
सीएस बिश्वरंजन जेना
सदस्यता संख्या: 10469
सी.पी. संख्या: 11981

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 18.07.2023

इस रिपोर्ट को हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक क'

सेवा में,

सदस्यगण,

एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

एमजेएसजे कार्यालय, बलंदा ट्रांजिटकैंप, प्रथम तल

पोस्ट- बलंदा/साउथ बलंदा तालचेर अंगुल या 759116 IN

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो। मेरा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते विश्वरंजन जेना एंड कंपनी
कंपनी सचिव

सीएस बिश्वरंजन जेना
सदस्यता संख्या: 10469
सी.पी. संख्या: 11981

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 18.07.2023

31.03.2023 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.29	0.52
ख) पूंजीगत कार्य में प्रगति	4	-	-
(ग) अन्वेषित और मूल्यांकित संपत्ति	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ड) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ	6.2	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	-	-
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	-	-
कुल गैर - चालू संपत्तियां (क)		0.29	0.52
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु-सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	2,090.43	2,006.45
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	5,725.46	5,707.73
(ग)चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)		146.35	135.18
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	86.39	86.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		8,048.63	7,935.75
कुल परिसंपत्तियाँ (क + ख)		8,048.92	7,936.27

31.03.2023 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,510.00	9,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-2,026.09	-2,097.04
		7,483.91	7,412.96
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी			
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		7,483.91	7,412.96
देयताएँ			
गैर चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार प्राप्य		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार प्राप्य	19		
(I) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(II) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	564.03	522.53
(क)अन्य चालू देनदारियां	23	0.97	0.78
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल चालू देनदारियाँ (ग)		565.01	523.31
कुल इक्विटी और देनदारियां (क+ख+ग)		8,048.92	7,936.27

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ह/-
(ए. श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन-09502251

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:329392E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश गोयल
सदस्यता संख्या: 063582

दिनांक: 19.04.2023
स्थान: अंगुल

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व			
क. बिक्री (सांविधिक लेवी का शुद्ध)	24	-	-
ख. अन्य परिचालन राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध)		-	-
(I) संचालन से राजस्व (क+ ख)		-	-
(II) अन्य आय	25	112.89	94.31
(III) कुल आय (I+II)		**112.89**	**94.31**
(IV) व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		-	
निर्मित माल की वस्तु-सूची/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक	27	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	28	8.45	41.12
ऊर्जा व्यय		-	
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	29	-	-
मरम्मत	30	1.48	1.25
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	27.11	16.79
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		0.23	0.22
प्रावधान	33	-	-
बट्टे खाते डालना	34	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	
अन्य व्यय	35	4.67	25.88
कुल व्यय (IV)		**41.94**	**85.26**
(V) संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ (III-IV)		**70.95**	**9.05**
(VI) संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) का हिस्सा			
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)		**70.95**	**9.05**
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (VIII)		-	-
(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**70.95**	**9.05**
(X) बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII) बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		**70.95**	**9.05**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(XIV) अन्य व्यापक आय			
क. i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	37	-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख. (i)मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) कुल व्यापक आय (XIV+XV) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		70.95	9.05
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामी		70.95	9.05
अनियंत्रित ब्याज		-	
		70.95	9.05
अन्य व्यापक आय के कारण:			
कंपनी के स्वामी		-	-
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामी		70.95	9.05
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		70.95	9.05
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी संचालन के लिए):			
(1) मूल		7.46	0.95
(2) मंदित		7.46	0.95
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए):			
(1) मूल		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और निरंतर संचालन के लिए):			
(1) मूल		7.46	0.95
(2) मंदित		7.46	0.95

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 तक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ह/-
(ए. श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन-09502251

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:329392E

ह/-
सनदी लेखाकार राजेश गोयल
सदस्यता संख्या: 063582

दिनांक: 19.04.2023
स्थान: अंगुल

नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		70.95	9.05
के लिए समायोजन:		0.00	-
लंबी अवधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव का नुकसान			
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि		0.23	0.22
बैंक जमाओं से ब्याज		-112.89	-94.31
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्त लागत		27.11	16.79
निवेश से ब्याज/लाभांश		0.00	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		0.00	-
चालू/गैर चालू आस्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ		-14.60	-68.25
के लिए समायोजन:			
लघु/दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियां		(17.73)	0.95
लघु/दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान		41.70	83.74
संचालन से उत्पन्न नकद		9.37	16.44
आयकर का भुगतान/धनवापसी		-11.17	-4.56
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(क)	-1.80	11.88
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अचल संपत्तियों की खरीद		0.00	(0.00)
बैंक जमा में निवेश		0.00	-
निवेश में बदलाव		0.00	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		0.00	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		0.00	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		112.89	94.31
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश			-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ख)	112.89	94.31

		समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
चुकौती/अल्पकालिक उधारों में वृद्धि		0.00	-
उधार की चुकौती		0.00	-
लघु अवधि की उधारी		0.00	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(27.11)	(16.79)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		0.00	-
लाभांश और लाभांश कर		0.00	-
इक्विटी शेयर पूंजी का बायबैक		0.00	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(ग)	(27.11)	(16.79)
कद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क + ख + ग)		83.98	89.40
नकद और बैंक शेष (शुरुआती शेष राशि)		2,006.45	1,917.05
नकद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		2,090.43	2,006.45
(कोष्ठक में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)		83.98	89.40

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ह/-
(ए. श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन-09502251

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:329392E

ह/-
सनदी लेखाकार राजेश गोयल
सदस्यता संख्या: 063582

दिनांक: 19.04.2023
स्थान: अंगुल

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	04-01-2022 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	यथायत शेष शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 के अनुसार तक शेष राशि
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00	-	9,510.00

31 मार्च 2022 तक

वर्तमान अवधि के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	01-04-2021 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	यथायत शेष शेष 01-04-2021	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 के अनुसार तक शेष राशि
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00	-	9,510.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 तक शेष राशि	-	-	-2,097.04	-	-2,097.04
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	70.95	-	70.95
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
31.03.2023 के अनुसार शेष	-	-	-2,026.09	-	-2,026.09

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 तक शेष राशि	-	-	-2,106.09	-	-2,106.09
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	9.05	-	9.05
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
31.03.2022 के अनुसार शेष राशि	-	-	-2,097.04	-	-2,097.04

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए. श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन-09502251

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:329392E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश गोयल
सदस्यता संख्या: 063582

दिनांक: 19.04.2023
स्थान: अंगुल

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी :1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे. कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमजेएसजेसीएल), एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की 60% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

यह कंपनी मुख्य रुप से कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी विकासशील स्थिति में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या-29 में दी गई है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133, भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii. वित्तीय विवरण को पूर्ववर्ती लागत मापन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय –

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय इन्सट्रूमेंट की लेखांकन नीति को पैरा 2.14 में देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएँ– उचित मूल्य पर मापी गई योजनागत परिसंपत्तियाँ;
- लागत या एनआरवी जो भी कम हो, पर वस्तु-सूची (पैरा 2.20 में लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(a) यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है;

(b) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को रखती है;
(c) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

(d) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब :

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है। ;
ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से देयताओं को रखती है;
ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या
घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

क. अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ. अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व है (यानी, अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि के बदलने की उम्मीद है); तथा

ङ. यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे होते हैं तो अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है :

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंधों में तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियाँ मौजूद हैं तो कंपनी एक संविदा संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करती है:

क) तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं, जो अलग हैं, को जोड़ने के कारण संविदा का दायरा बढ़ता है और

ख) संविदा की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त तय किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष संविदा की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान:

संविदा की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या
ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक अभ्यासों पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तुएं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ग्राहक के साथ संविदा में दिए गए प्रतिफल में निश्चित राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:
- परिवर्तनीय निर्णय
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- एक ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी की प्रतिफल की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है तो तय किए गए प्रतिफल भी भिन्न हो सकते हैं।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में दंड निहित है, यह परिवर्तनशील प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या पूरी राशि केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसमें यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल हो जाएगी।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल में से कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक धनवापसी देयता को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद नहीं करती है (यानी, लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। धनवापसी देयता (और लेन-देन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देयता) परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी तय किए गए वस्तु या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन की कीमत आवंटित करते समय उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट अच्छी या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करना होता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिस पर कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाएं हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसा कि) कंपनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक वस्तु या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या जैसा कि) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है तो एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है,:

क. ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है; द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है।

ख. कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति को बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है;

ग. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति को नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन दायित्व को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रखकर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व की प्रगति के आकलन के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने माप को अद्यतित करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन दायित्व समय पर पूरा नहीं होता तो कंपनी एक समय में निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व हैं;

ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने कार्य निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी किसी भी बिना शर्त अधिकार को प्राप्य के रूप में अलग से विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा विचार किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानि, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

एक अनुबंध देयता एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तब अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब लिया जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और उचित निश्चितता हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और उसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान को "पूंजीगत कोष" में सीधे मान्यता दी जानी चाहिए, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारम्भिक तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को घटाकर पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनरांकित कर मापा जाता है।

वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल न हो। यदि पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को स्थानांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित संपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्तीय पट्टा- एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाएगा। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि संपत्ति या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है, इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसे छोड़ नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।

- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा हो, जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित हो,
- बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता हो कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि की खरीदी ऐतिहासिक कीमत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि जैसे व्यय शामिल होते हैं, जो भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

मान्यता के पश्चात, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मदों को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित मूल्यह्रास को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें आयात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) संपत्ति को स्थान तक लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो उस समय वहन करती है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तु सूची के उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वस्तु को हटाने और हटाने और बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान होता है, जिस साइट पर यह स्थित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद का प्रत्येक हिस्सा एक लागत के साथ, जो अलग से मूल्यह्रास वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, मूल्यह्रास शुल्क का निर्धारण करने में समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के मद की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि
(पट्टे की भूमि सहित): परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष

संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहनों	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे,कोयला धारक, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है; और लीजहोल्ड भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

सक्रिय उपयोग से निवृत पूरी तरह से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और हानि के लिए इसका परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक का संक्रमण

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य चुना है (इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमिशनिंग बाध्यताएँ

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने की बाध्यता का हिस्सा बनने के लिए वर्ष-दर-वर्ष प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में आधार पर एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से खोजपूर्ण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और सैंपलिंग;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना।
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य में होने वाले शोषण से होने वाली और वसूल की जाने वाली कुल अपेक्षित मूर्त लागत के एक महत्वहीन/अप्रभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण तक परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित हानि/प्रावधान को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित भंडार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब सिद्ध भंडार का निर्धारण किया जाता है और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

<u>वाणिज्यिक संचालन</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में तब लाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए व्यावसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कार्य जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्तियां

अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि यदि कोई हो, पर खर्च किए जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त वस्तुओं को पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षीण हो सकती है, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है हैं। परिशोधन अवधि और एक सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए उत्तरदायी अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात, सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए उनका परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, में शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ।स्ट्रेट लाइन विधि पर परिशोधन किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्ति की हानि (वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या नकदी-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संप्रत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियां या संपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो संपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।
निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन , डेरिवेटिव और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी उपकरण।

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

क. परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम या शुल्क और लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को भी लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों से प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखांकन बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को मानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी, तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्यों के अतिरिक्त)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे उधार, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है।
ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्य।
घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर निर्दिष्ट किया जाता है, और केवल तभी जब जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी गई है। इन लाभों/हानियों को बाद में पी एंड एल में अंतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी भी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं उसे पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। व्यापार मॉडल में अक्सर परिवर्तन होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को

पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके लेखा-जोखा को दर्शाती है :

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधनों की ऑफ़सेटिंग

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और समेकित तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है। यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक साथ निपटाने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लेने की लागत तब खर्च की जाती है जब तक कि वे सीधे योग्यता परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी, ऐसी संपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं, इस स्थिति में उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पूर्व लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगें, जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

पारिभाषित योगदान योजनाएं भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं

होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार पश्चात लाभ योजना भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और उसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की मौजूद बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और उन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएं शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। गणना प्रत्येक तुलनपत्र पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकन द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों को उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित लाभ देयता का पुन: माप, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (ब्याज को छोड़कर, यदि कोई हो) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में बढ़ोत्तरी होती है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार पर मान्यता दी गई है। इन लाभों के लिए विशिष्ट वित्तपोषण (फंडिंग) नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में परिवर्तित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयला अपशिष्ट सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को कोयले और इसके निष्कर्षण तक पहुंचने के लिए हटाने की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रीपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्च उठाने पड़ते हैं।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलन पत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।
रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।:-

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचरण की अनुमेय सीमा (%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां विचरण उपरोक्त रूप में अनुमेय सीमा से परे है, वहाँ मापी गई मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयले का भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। इन्वेंट्री की लागत की गणना भारित औसत पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूरा होने की सभी अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत शामिल है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहाँ आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5%से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वाशरियों के बीच में और उत्पादों द्वारा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार एवं पुर्जे

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्टोर और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें ढीले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-स्टोर/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

प्रगतिरत कार्य सहित कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस कार्यों (कार्य प्रगति के साथ) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रेप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्ति एवं देयताऐं

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहाँ दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहाँ यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूर नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूर नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित संपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इसकी मान्यता यथोचित होती है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मंदित आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण –

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में, एक लेखांकन नीति विकसित करने और उसे लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और
ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय:
   i. कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं;
   ii. लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;
   iii. तटस्थ हैं, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं;
   iv. विवेकपूर्ण हैं; तथा
   v. निरंतर आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी उपयोगिता पर विचार करता है:

क. समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा
ख. ढांचे में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय विवरण को लेखांकन के प्रोद्भवन का उपयोग करते हुए ऑन-गोइनिंग–कंसर्न आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्री

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई त्रुटियां/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जा सकता है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले ऑडिट वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को आधारित किया। हालांकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियां और धारणाएं बाजार में परिवर्तन या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि –

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और बाह्य गणक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और जिसे संबंधित टिप्पणियों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर संपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रतिउत्तर में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य में वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन मॉडलों के इनपुट बाज़ारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों की स्थापना के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं और अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है तथा तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है तब लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है।

2.23.2.6 खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में छूट दर, साइट पुन: स्थापना और निर्वहन तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान के जीवन को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके प्रावधान का अनुमान लगाती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट की दर (पूर्व कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए मौजूदा बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नकद उत्पादक इकाई	ड	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	ढ	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ण	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	त	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ङ.	जीएएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	थ	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	भा.लेखा.मा.	भारतीय लेखांकन मानक	द.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	ध.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
झ.	पी एंड एल	लाभ एवं हानि	न.	सीएमपीडी आईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
ञ.	पीपीई	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	प.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	फ़	आईआईसीएम	इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मेनेजमेंट
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	ब.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/स्थल पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहनों	अन्य खनन अवसंरचना	सर्वेक्षण किए गए संपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2021 तक									0.75					-	0.75
परिवर्धन														-	-
विलोपन/समायोजन									(0.23)					-	(0.23)
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52
परिवर्धन	-		-				-						-		-
विलोपन/समायोजन	-		-				-						-		-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52
संचित मूल्यह्रास और हानि															
1 अप्रैल 2021 तक									-						-
वर्ष के लिए शुल्क															-
हानि															-
विलोपन/समायोजन									-				-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	0.23
अवधि के लिए शुल्क	-								-	-	-		-		-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-
हटाना/समायोजन	-		-	-		-	-				-	-	-		
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	0.23
शुद्ध वहन राशि															
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-	0.29
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52

1. अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक संस्थापक, निदेशक या संस्थापक * का संबंधी # या संस्थापक/ निदेशक के कर्मचारी है ?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तिथियां	अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व विलेख कब्जे में है और फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित है, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित होने पर वह प्रगति पर है।
अन्य भूमि	-	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तिथियां	कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी शीर्षक विलेख कब्जे में हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, कुछ मामलों को छोड़कर जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

2. कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और पूंजीकरण को मंजूरी आदेश के बाद समायोजित किया जायगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3. नोट 2.7 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

4. भूमि सुधार/स्थल पुनर्स्थापन लागत में खदान बंद होने के चरण में होने वाली अनुमानित लागत शामिल है जो मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत बढ़ जाती है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य की वर्तमान बाजार दर और जोखिम को दर्शाती है।

5. वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए ₹ शून्य लाख की अवधि के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास भी शामिल है।

6. रेल कॉरिडोर शीर्ष में ₹ शून्य लाख की सक्षम संपत्ति को शामिल किया गया है।

7. सीआईएल से परिचालित समिति की अनुशंसा दिनांक 17.04.2017 के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

(₹ लाख में)

	वन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल 2021 तक							-	-
परिवर्धन							-	-
कैपिटलाइज़ेशन/विलोपन							-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
परिवर्धन								-
कैपिटलाइज़ेशन/विलोपन								-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
1 अप्रैल 2021 तक							-	-
वर्ष के लिए शुल्क							-	-
हानि							-	-
विलोपन/समायोजन							-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-		-	-
हानि	-	-	-	-	-		-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-		-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-

पूंजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) कार्य प्रगति की कार्यकाल सूची:

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर		-	-		-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।					
परियोजना का नाम					
परियोजना का नाम					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति में

..... में पूरा किया जाना है

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)				
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	
	-	-	-	
रेलवे साइडिंग	-	-	-	
	-	-	-	
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	-	-	-	
	-	-	-	
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	
	-	-	-	
अन्य	-	-	-	
	-	-	-	
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:				
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।				
परियोजना का नाम	-	-		
परियोजना का नाम	-	-	-	
कुल	-	-	-	

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 तक	
परिवर्धन	
पूंजीकरण/ विलोपन	
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
परिवर्धन	
पूंजीकरण/ विलोपन	
31 मार्च 2023 तक	-
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
अवधि के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	-
31 मार्च 2022 तक	-

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के लिए कार्यकाल अनुसूची

..... की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
ई एंड ई परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित :					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

..... में पूरा किया जाना है

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
परियोजनाओं का नाम				
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 6.1: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त खोजपूर्ण संपत्ति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
1 अप्रैल 2021 तक			-	-
परिवर्धन		-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-
परिवर्धन		-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2021 तक		-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क		-	-	-
हानि		-	-	-
विलोपन/ समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क				-
हानि	-			0.00
विलोपन/ समायोजन				0.00
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 तक	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण/ विलोपन	
31 मार्च 2023 तक	-
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
अवधि के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	-
31 मार्च 2022 तक	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए कार्यकाल की अनुसूची

..... की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
विकास के तहत ईआरपी			-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
(प्रमुख का नाम (अर्थात कंप्यूटर आदि) का उल्लेख करें।	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

.....में पूरा किया जाना है

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

गैर चालू निवेश	होल्डिंग का %	"शेयरों/इकाइयों की संख्या	"प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर					
कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)					
निवेश अन्य					
कुल (ख)				-	-
कुल योग (क + ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 7 (जारी)

निवेश

(₹ लाख में)

चालू	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
म्यूचुअल फंड निवेश				
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश				
कुल :			0	0
गैर-उद्धृत निवेशों का योग:				
उद्धृत निवेश का कुल:			0	0
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			0	0
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			0	0
			0	0

टिप्पणी - 8 : ऋण

गैर चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			0	0
खराब क्रेडिट			0	0
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			0	0
			0	0
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण			0	0
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
खराब क्रेडिट			0	0
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			0	0
कुल			0	0

चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			0	0
खराब क्रेडिट			0	0
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			0	0
			0	0
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण			0	0
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			0	0
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			0	0
खराब क्रेडिट			0	0
			0	0
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			0	0
कुल			0	0

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(3)(क) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण			31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
उधारकर्ता का प्रकार			सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
निदेशक				-		-
केएमपी				-		-
सम्बन्धित दल				-		-
कुल			-	-	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
गैर चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
माइन क्लोजर प्लान के तहत बैंक में जमा	-	
सुरक्षा जमा राशि	-	
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियां	-	
घटाव: संदिग्ध जमा राशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	
	-	-
कुल	-	-
चालू		
स्वामित्व कंपनी/सहायक कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू खाता शेष		
घटाव : अनुषंगियों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अर्जित ब्याज	68.31	50.58
अन्य जमा और प्राप्तियां	5,657.15	5,657.15
घटाव: संदिग्ध जमा राशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	
	5,657.15	5,657.15
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	5,725.46	5,707.73

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - तिप्पणी 38(3)(क) देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i) पूंजी अग्रिम	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाव: संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ग) प्रगतिशील खदान बंद करने का व्यय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-11 : अन्य चालू संपत्तियां

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क) वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव: संदिग्ध सांविधिक देय राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(ग) अन्य जमा और अग्रिम 1	86.39	86.39
घटाव: संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	
	86.39	86.39
(घ) प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया खर्च	-	
(ड) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	
कुल	**86.39**	**86.39**

1. अन्य अग्रिमों और जमाओं में विरोध के तहत जमा राशि शामिल है: आयकर ₹86.39 लाख, बिक्री कर ₹शून्य लाख, सेवा कर ₹शून्य लाख, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹शून्य लाख, स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹शून्य लाख।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार	-	
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले का भंडार	-	-
(ख) स्टोर और स्पेयर का भंडार (शुद्ध)	-	
जोड़: स्टोर-इन-ट्रांजिट	-	
स्टोर और स्पेयर का शुद्ध स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	
(घ) कार्यशाला और प्रेस कार्य	-	
कुल	-	-

मूल्यांकन की विधि : टिप्पणी संख्या 2.20 देखें - "इन्वेंटरी" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां।

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित और अच्छा माना गया।	-	-
असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	
क्रेडिट हानि	-	
	-	-
घटाव : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पनी 38(3)(क) देखें।

2. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान और कोयले पर नमी के लिए ₹ शून्य के प्रावधान का योग है।

व्यापार प्राप्य कालसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया						-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-क्रेडिट हानि	-					-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-
(v) कोयला गुणवत्ता परिवर्तन						-
कुल	-	-	-	-	-	-
चुकाया न गया देय						
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						0
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समाधान

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक शेष		
अवधि के दौरान जोड़		
अवधि के दौरान उत्क्रमण	0	0
कोयला गुणवत्ता भिन्नता का अंतिम शेष	0	0

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 12 का अनुलग्नक

(मात्रा टन में) (मूल्य लाख रुपये में)

तालिका: क

31.03.2023 की अवधि के अंत में खाते में अपनाए गए अंतिम स्टॉक का बुक स्टॉक के साथ मिलान

	कुल स्टॉक		गैर-विक्रय स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2022 के अनुसार प्रारम्भिक स्टॉक			-	-	-	-
(ख) 5% से अधिक की कमी			-	-	-	-
खाता खोलने में अपनाया गया स्टॉक	-	-			-	-
2.(क) अवधि के लिए उत्पादन		-	-	-	-	-
(ख) कोयले की खरीद		-			-	-
3. उप-कुल (1 क+ 2)	-	-	-	-	-	-
4. अवधि के लिए कुल व्यापार						
(क) बाहरी प्रेषण		-	-	-	-	-
(ख) वाशरीज़ को कोयला फीड	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वगत खपत			-	-	-	-
(घ) खरीदे गए कोयले का प्रेषण		-			-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-
5. व्युत्पन्न स्टॉक	-		-	-	-	-
6. मापा गया स्टॉक			-	-	-	-
7. अंतर (5-6)	-	-	-	-	-	-
8. अंतर का टूटना:						
(क) 5% के भीतर अतिरिक्त			-	-	-	-
(ख) 5% के भीतर कमी			-	-	-	-
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी			-	-	-	-
9. अपनाया गया समाप्त स्टॉक	-	-	-	-	-	-
खाते में (6-8क + 8ख)	-	-	-	-	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश	-	-	-	-	-	-

तालिका: ख

	कच्चा कोयला				धुला/बिखरा हुआ कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर कोकिंग		कोकिंग		गैर कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी			-	-							-	-
समायोजित प्रारंभिक स्टॉक (विक्रय योग्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोयले की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऑफ टेक												
(क) बाहरी प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरीज को कोयला फीड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वगत खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) खरीदे गए कोयले का प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लोजिंग स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाव : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त			-	-							-	-
अंतिम माल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी टीमों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर +/- 5% बुक स्टॉक (खान/कोलियरी वार) के भीतर पाई गई कमी/अधिशेष को लेखांकन नीति के अनुसार अनदेखा कर दिया जाता है।
5% से अधिक की कमी का विवरण निम्नानुसार है: -

उन मामलों में, चूंकि अंतर +/- 5% से अधिक हैं, नीति के अनुसार, मापा गया स्टॉक को खातों में माना गया है और 31.03.2023 को ₹ शून्य लाख मूल्य के ___ टन की मात्रा में कमी पर विचार किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 14: नकद और नकद समकक्ष (₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क) बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा खातों में	-	
चालू खातों में		
- ब्याज असर (सीएलटीडी)	2,090.43	2,006.45
- गैर ब्याज असर	-	
ऋण खातों में नकद	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट और हाथ में टिकट	-	-
(घ) हाथ पर नकद		-
(ङ) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समकक्ष	**2,090.43**	**2,006.45**

नकद और नकद समकक्ष में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप ख ाते

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा	-	
अन्य जमा - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए	-	
कुल	-	-

अन्य बैंक शेष में जमा शामिल हैं - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा, न्यायालय के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई / निर्धारित बैंक जमा हैं।

टिप्पणी - 16: इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

अधिकृत	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
₹ 10/- प्रत्येक के 20,00,000,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	**20,000.00**
जारी, अभिदा एवं चुकाया हुआ		
₹10/- प्रत्येक के 9,51,000,000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता है	9,510.00	9,510.00
	9,510.00	**9,510.00**

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10)	% का कुल शेयर"
एमसीएल (होल्डिंग कंपनी)	57060000	60
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10461000	11
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	10461000	11
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8559000	9
श्याम मेटॅलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड	8559000	9

2. इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर जारी नहीं किया है और न ही वापस खरीदा है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित पूंजी प्रतिदान	जनरल संशय	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 के अनुसार शेष राशि	0.00	0.00	(2097.04)	0.00	(2097.04)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां					0.00
01-04-2021 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष राशि					
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			70.95	0.00	70.95
अंतरिम लाभांश					0.00
अंतिम लाभांश					0.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर					0.00
जनरल संशय में/से स्थानांतरण		0.00			0.00
अवधि के दौरान समायोजन (मुख्यालय को हस्तांतरित)					0.00
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)					0.00
इक्विटी शेयरों का बायबैक					0.00
31.03.2023 के अनुसार शेष राशि	0.00	0.00	(2026.09)	0.00	(2026.09)

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित पूंजी प्रतिदान	जनरल संशय	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 के अनुसार शेष राशि			(2106.09)		(2106.09)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां					
01-04-2021 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष राशि					
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			9.05	0.00	9.05
अंतरिम लाभांश					0.00
अंतिम लाभांश					-
कॉर्पोरेट लाभांश कर			-		-
जनरल संशय में/से स्थानांतरण		-			-
अवधि के दौरान समायोजन					
कोई अन्य परिवर्तन					
इक्विटी शेयरों का बायबैक					
31.03.2022 के अनुसार शेष राशि	0.00	0.00	(2097.04)	0.00	(2097.04)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधार

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
गैर चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
बैंक से		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य	-	-
लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	-	
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 19 : व्यापार देय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	-	
कुल	-	-
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक बकाया नहीं है	-	-
ख) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और बकाया	-	-
ङ) आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

व्यापार देय कार्यकाल अनुसूची

विवरण — लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
बिना बिल की बकाया राशि	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

गैर चालू	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
सुरक्षा जमा	-	
अन्य	-	
	-	-
चालू		
..... के साथ चालू खाता	-	-
एमसीएल	522.99	492.58
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	2.23	2.23
एसएमईएल	1.49	1.48
सुरक्षा जमा	3.18	3.36
अधिक धन	1.58	1.61
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	32.56	21.27
अन्य	-	-
कुल	564.03	522.53

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी के बदले नक़द भुगतान	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट का मरम्मत/ खदान बंदी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी के बदले नक़द भुगतान	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

"1. साइट के जीर्णोद्धार/खान बंद करने का प्रावधान
भूमि सुधार और ढांचों को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान को बंद करने, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान। खान बंद करने का खर्च अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट के प्रभाव में कमी आती है; वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय बनाना। खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (टिप्पणी - 9 देखें)"

भूमि के पुनरुद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंद करने का समाधान :

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	0.00
आगे साइट बहाली प्रावधान का जोड़		
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान को समाप्त करना		
घटाव : अवधि के दौरान निकासी		
खान बंद करने का प्रावधान	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी - 22 :अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: ₹___ लाख (₹__ लाख) की आस्थगित आय का वर्तमान भाग टिप्पणी 23 (अन्य) में शामिल किया गया है।

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
सांविधिक बकाया	0.97	0.78
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देनदारियां	-	-
कुल	0.97	0.78

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले की बिक्री		
घटाव: सांविधिक लेवी		
कोयले की बिक्री (शुद्ध) (क)	-	-
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क		
घटाव: सांविधिक लेवी		
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव: सांविधिक लेवी		
	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	-
घटाव: सांविधिक लेवी		
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क + ख)	-	-

1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत प्रदर्शन बिल प्रोत्साहन और मुआवजा आय के रूप में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल हैं।

2. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और कोयले पर नमी के प्रावधान (रिवर्सल का शुद्ध) की राशि ₹ शून्य करोड़ (पीवाई ₹ शून्य करोड़) की वृद्धि हुई है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	112.89	94.31
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टे का किराया	-	-
दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	112.89	94.31

1. ब्याज आय में शून्य आयकर रिफंड ब्याज शामिल है

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

विस्फोटकों	-	
लकड़ी	-	
तेल और स्नेहक	-	
एचईएमएम स्पेयर्स	-	
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	-	
कुल	-	-

टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगति पर काम और व्यापार में स्टॉक

कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	-	
कोयले का समाप्ति स्टॉक	-	
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला से बने तैयार माल, डब्ल्यूआईपी और प्रेस कार्य का प्रारंभिक स्टॉक	-	
कार्यशाला से बने तैयार माल, डब्ल्यूआईपी और प्रेस कार्य का समाप्ति स्टॉक	-	
ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (क + ख) (गिरावट / (अभिवृद्धि))	-	-

टिप्पणी 28: कर्मचारी लाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ते और बोनस आदि सहित)	8.45	36.42
पीएफ में योगदान और अन्य फंड	-	4.61
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	0.09
कुल	8.45	41.12

टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

सीएसआर व्यय	-	
कुल	-	-

1. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए श्री आर.वी. रिंगे और श्री एल.एन. मिश्रा के वेतन के आंशिक प्रावधान के कारण कर्मचारी लाभ व्यय के लिए क्रमशः 2.17 रुपये और 1.98 लाख रुपये का प्रावधान, जिसका वित्त वर्ष 2021-22 में हिसाब नहीं दिया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में हिसाब लगाया गया और तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ को 4.15 लाख रुपये तक कम करके आंका गया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

सीएसआर से संबंधित टिप्पणियां

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अधिक खर्च सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन		
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना		
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय		
पर्यावरणीय स्थिरता		
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं		
स्लम क्षेत्र का विकास	-	
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		
कुल	-	-
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण		
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 30: मरम्मत		
इमारत	1.48	1.25
संयंत्र एवं यंत्र	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1.48**	**1.25**
टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय		
यातायात भुगतान	-	-
वैगन लोडिंग	-	-
संयंत्र और उपकरणों की भर्ती	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 32 : वित्त लागत		
ब्याज खर्च		
छूट की समाप्ति	-	
समूह के भीतर जमा धन		
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)		
अन्य उधार लागत	27.11	16.79
कुल	**27.11**	**16.79**
टिप्पणी 33: प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम और दावे	-	-
स्टोर और पुर्जे	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
अन्य	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी 35: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	-	0.59
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
स्कना	-	-
सुरक्षा व्यय	0.69	14.62
सीआईएल के सेवा प्रभार	-	-
सीएमपीडीआईएल को परामर्श शुल्क	-	-
कानूनी व्यय	1.89	6.94
परामर्श शुल्क	-	-
लोडिंग शुल्क के तहत	-	-
संपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	1.13	0.90
कराधान मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.67	-
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज रेंट और हायरिंग शुल्क	-	0.38
दरें और कर	0.22	-
बीमा	-	-
विनिमय दर विचरण पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
आर एंड डी खर्च	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की बायबैक पर खर्च	-	
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
विविध व्यय	0.07	2.45
कुल	**4.67**	**25.88**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी - समेकित

टिप्पणी 36: कर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
आस्थगित कर	-	-
पहले के वर्ष	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 37: अन्य व्यापक आय

(क) (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-
	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-
	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	
	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	-
	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क + ख)	-	-

टिप्पणी 38: 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणी

1. अपरिचित मद

क. आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	255.49				255.49
अवधि के दौरान जोड़	-	-	-	-	0
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-
31-03-2023 को अंतिम शेषराशि	255.49	-	-	-	255.49

आकस्मिक देयता

क्र. सं	विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	255.49	255.49
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-
	सेवा कर	-	-
	अन्य	-	-
	उप- कुल	255.49	255.49
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी	-	-
	पर्यावरण मंजूरी	-	-
	बिक्री कर/वैट	-	-
	प्रवेश कर	-	-
	बिजली शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	उप- कुल	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के खिलाफ चल रहा मुकदमा		
	अन्य	-	-
	उप- कुल	-	-
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि और अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि	-	-
	उप- कुल	-	-
	कुल योग	255.49	255.49

II. गारंटी

31.03.2023 को जारी की गई बैंक गारंटी ₹ शून्य लाख है

III. साख पत्र और आराम पत्र

31.03.2023 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य है और आराम पत्र ₹ शून्य है।

ख. प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया: ₹ शून्य।

अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ शून्य।

2. अधिकृत पूंजी

	31.03.2023	31.03.2022
₹ 10/- प्रत्येक के 20,00,000,000 इक्विटी शेयर	20000.00	20000.00

3. संबंधित पार्टी की जानकारी

a)भूतपूर्व कर्मचारी लाभ निधि एवं अन्य
(क)
विश्वास
1)कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
2)कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड (CMPF)
3)कोल इंडिया सुपरनेशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
4) गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना संशोधित
5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट
(ख)
समाज
(क) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) - (पंजीकृत सोसायटी)
(ख) कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) - (पंजीकृत सोसायटी)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभारी
श्री अजीत कुमार बेहरा	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री संतोष कुमार पात्र	निदेशक	16.01.2022
श्री दीपांकर पांडा	निदेशक	22.07.2021
श्री शशिभूषण शोभनाथ उपाध्याय	निदेशक	29.07.2016
श्री चन्द्र प्रकाश तातेड़	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभ्रजीत सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री अनुपम श्रीवास्तव	निदेशक	16.01.2022
श्री कृपा शंकर सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	12.12.2022
श्री मानस रंजन मिश्र	मुख्य वित्तीय अधिकारी	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	29.04.2022

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	0.00	1.19
	चिकित्सीय लाभ	0.00	0.01
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.00	0.61
ii)	रोजगार के बाद के लाभ		
	पीएफ में योगदान और अन्य फंड	0.00	0.13
iii)	समाप्ति लाभ		
	कुल	0.00	1.94

टिप्पणी :
(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर के भुगतान पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है। संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 समय-समय पर यथा संशोधित।

(v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क		
ii)	31-03-2023 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मियों के पास बकाया राशि		
			(₹ लाख में)
क्र.सं	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(क)
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्रतिनियां देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई निधि पर ब्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उ भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे हैं:

i) सहायक कंपनियां

31-03-2023 को बकाया शेष और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	संपत्ति की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्तियां	"बकाया रकम (देय)/प्राप्तियां "
एमसीएल (होल्डिंग कंपनी)								
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड								
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड								
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड								
श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड,								
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	-	-	-	-

31-03-2022 को बकाया शेष और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	संपत्ति की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्तियां	"बकाया रकम (देय)/प्राप्तियां "
एमसीएल (होल्डिंग कंपनी)								
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड								
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड								
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड								
श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड,								
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है और नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज किए गए हैं।

4. विविध जानकारी

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट -2) का मसौदा तैयार किया गया है। .

(ख) "हाल की लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। संशोधन इस प्रकार हैं:"

भारतीय लेखांकन मानक 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। समूह को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखांकन मानक 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 8 में संशोधन शामिल किया है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(c) भारतीय लेखांकन मानक 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों

i. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः प्रस्तुत, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 31-03-2022 की तुलन पत्र का हिस्सा हैं और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

बोर्ड की ओर से संलग्न

हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-	ह/-
(एस. परिडा)	(एम. आर. मिश्रा)	(के.एस. सिंह)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ह/-		ह/-
(ए. श्रीवास्तव)		(ए.के. बेहुरा)
निदेशक	उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार	अध्यक्ष
डीआईएन-09502251	राजेश गोयल एंड कंपनी	डीआईएन-09712877
	सनदी लेखाकार	
	एफ.आर.एन:329392E	
	ह/-	
दिनांक: 19.04.2023	सनदी लेखाकार राजेश गोयल	
स्थान: अंगुल	सदस्यता संख्या: 063582	

5 (क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31.03.2023		31.03.2022	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		-
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-		-	
ऋण		-		0.00
जमा और प्राप्य		5,725.46		5,707.73
व्यापार प्राप्तियां*		-		-
नकद और नकद समकक्ष		2,090.43		2,006.45
अन्य बैंक शेष		-		-
वित्तीय देनदारियां				
उधारी		-		-
व्यापार देनदारियां		-		-
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.76		4.97
लीज देयताएं		-		-
अन्य देनदारियां		559.27		517.56

* व्यापार प्राप्य से घटाया गया कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता।

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्तियां				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	0.00	-	0.00

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिसके लिए उचित मूल्य 31-03-2023 पर प्रकट किए गए हैं	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति				
निवेश* :				
सुरक्षित बांड		0.00		0.00
ऋण		0.00		5707.73
जमा और प्राप्य		5,725.46		0
व्यापार प्राप्तियां*		-		2006.45
नकद और नकद समकक्ष		2,090.43		0
अन्य बैंक शेष		-		
वित्तीय देयताएं				
उधारी		-		
व्यापार देनदारियां		-		0
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.76		4.97
लीज देयताएं		-		
अन्य देनदारियां		559.27		517.56

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

~~(घ) महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप~~
वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(ङ) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है से रोकने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करता है।। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

. महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिमों के स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है कि संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला संसर्ग	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है	काल प्रभावन विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान

क. ऋण जोखिम:
क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:
प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
गैरों - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है
ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:
• राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए
उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादक ("आईपीपी");
• गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित); तथा
• राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।
ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, उनके पूर्ण आवंटन से कम के कारण एनसीडीपी के तहत मानक आवश्यकता, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ऋण बाधित आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है। संदर्भ नोट - 13 व्यापार प्राप्तियां

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

ख. नकदी जोखिम

विवेकपूर्ण नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति (अनारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथाओं और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुकूली कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

घ) पूंजी प्रबंधन

एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत नियंत्रण और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर पूंजी	9510	9510
लंबी अवधि के ऋण	0	0

7 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक -19)
परिभाषित लाभ योजनाएं

क ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के कार्यकारी के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट / अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा प्रदान करता है। अधिकतम सीमा, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग कर दी जाती है या सामान्य कोयला संघर्ष या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संपुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

"""मजदूरी समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी गैर-कार्यकारियों और उनके जीवनसाथी और कंपनी में दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है। अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पताल या केवल भारत में आउट पेशेंट / अधिवास की सीमा के अधीन, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय-समय पर तैयार और लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर कंपनी से इस्तीफा देता है।सेवानिवृत्त गैर-कार्यपालकों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संपुक्त रूप से पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि या गंभीर रूप से 8 लाख रुपये है, बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। दायित्व घ या योजना को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
""
"

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए महंगाई भत्ता क्रमशः। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(ख) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।.

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) छुट्टी के बदले नकद भुगतान

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। . सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।.

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।.

ग) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ)

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

ङ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 /- और 12000 /- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 07.11.2019 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। । लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है। परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की फंडिंग स्थिति इस प्रकार है:

8 अन्य सूचना

(क) प्रावधानों

31.03.2022 को बीमांकिक रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है.

(₹ लाख में)

प्रावधानों	31.03.2022 को प्रारंभिक शेषराशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान वापस लिखें/विलोपन/भुगतान किया गया	31.03.2023 को अंतिम शेषराशि
टिप्पणी 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :				
संपत्ति की हानि :				
टिप्पणी 4:- पूंजीगत कार्य प्रगति पर :				-
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ:				
टिप्पणी 5:- अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति:				-
प्रावधान और हानि:				
टिप्पणी 8:- ऋण :				-
अन्य ऋण:				
टिप्पणी 9:- अन्य वित्तीय आस्तियां:				-
अन्य जमा और प्राप्तियां				
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा				-
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता				-
दावे और अन्य प्राप्तियां				-
टिप्पणी 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियां :				-
राजस्व के लिए अग्रिम:				
रॉयल्टी देय राशि का अग्रिम भुगतान:				-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा				-
टिप्पणी 13:-व्यापार प्राप्तियां :				-
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान ;				
टिप्पणी 21 :- गैर-चालू और चालू प्रावधान :				-
अनुग्रहपूर्वक				
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान				-
अन्य कर्मचारी लाभ				-
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते का प्रावधान X				-
कार्यकारी वेतन संशोधन का प्रावधान				-
समूह का योग/समापन शेष				-
				-

(ख) प्रति शेयर आय

क्र.सं	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	इक्विटी शेयर धारकों के कारण कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹ लाख में	70.95	9.05
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	95100000	95100000
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल्य और मंदित आय (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	7.460567823	0.951629863

(ग) पट्टा

क्र.सं	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष लीज रेट	टिप्पणियां

(ग) बीमा और वृद्धि के दावे
प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

(घ) खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/नॉन-मूविंग/अप्रचलित स्टोरों, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

(ङ) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य संपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर यह वर्णित है।

(च) चालू देनदारियां
अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

(छ) अलग-अलग राजस्व जानकारी:
नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

अलग-अलग राजस्व जानकारी:	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	-	-
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
ग्राहकों के प्रकार		
- ऊर्जा क्षेत्र	-	
- गैर-ऊर्जा क्षेत्र	-	
- अन्य या सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	-	
ई-नीलामी	-	
अन्य	-	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
माल या सेवा का समय		
- एक समय में माल का हस्तांतरण	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-

(ज) अनुपात

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	परिवर्तन
क) वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	14.25	15.16	-6%
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी की बैलेंस शीट में पाया जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0	0	0
"(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा द्वारा विभाजित ऋण सेवा के लिए उपलब्ध कमाई के रूप में की जाती है। ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान ""कर के बाद शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि)"" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।"	3.62559941	1.552114354	1.33590998

(ण) इक्विटी अनुपात पर वापसी: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इक्विटी-धारकों को उत्पन्न प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है	0.009525491	0.001220835	6.802440134
*(ड) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह दक्षता को मापता है जिसके साथ ए कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या औसत इन्वेंटरी से विभाजित बिक्री के रूप में की जाती है। औसत इन्वेंट्री है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब इन्वेंट्री के उद्घाटन और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को इन्वेंट्री के क्लोजिंग बैलेंस से विभाजित करके की जा सकती है। ***	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
*(च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत। प्राप्य खाते नेट क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री घटा बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (शुरुआती + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, उद्घाटन और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियों के शेष शेष को विभाजित करके की जा सकती है।***	#DIV/0!	#DIV/0!	0
*(छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का न्याय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा शुद्ध क्रेडिट खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद माइनस खरीद रिटर्न शामिल है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के उद्घाटन और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।***	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
*(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित होती है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों को घटाकर वर्तमान देनदारियों के रूप में की जाएगी।***	-	-	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0%

(i) इस अवधि के दौरान, कंपनी ने ओसीपीएल और एमएलसीआईएल से ₹ ____ करोड़ की राशि का कोयला खरीदा है। खरीदे गए कोयले की बिक्री सतह परिवहन शुल्क और निकासी सुविधा शुल्क सहित ₹ ____ करोड़ की राशि है। खरीदे गए कोयले का क्लोजिंग स्टॉक ₹ ___ करोड़ है।

(j) शीर्ष प्रभारों में संशोधन का प्रभाव

सीआईएल बोर्ड ने अपनी 431वीं बैठक दिनांक 17.09.2021 में शीर्ष प्रभारों की दर को ₹ 10 से ₹ 20 प्रति टन उत्पादन के संशोधन के लिए अनुमोदित किया है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए उसी का प्रभाव ₹ ___ करोड़ है।

(k)
कंपनी ने अधिग्रहित भूमि की लागत के साथ पूंजीकरण करके रोजगार के बदले वार्षिकी के रूप में मुआवजे के संबंध में लेखांकन नीति को संशोधित किया है। तदनुसार, ₹ ___ करोड़ का पूंजीकरण किया गया है और इस अवधि के दौरान उसी पर परिशोधन प्रभार ₹ ___ करोड़ है।

(l)
कोल ब्लॉक उत्कल ए और गोपालप्रसाद वेस्ट (वेस्ट) जो पहले एमजेएसजे कोल लिमिटेड को आवंटित किया गया था, एमसीएल की एक सहायक कंपनी अब एमसीएल को आवंटित कर दी गई है। नामित प्राधिकारी, एमओसी के आदेश से पिछले आवंटी को देय भूमि की लागत। हालाँकि, चूंकि मुआवजे की राशि का अभी तक दावा नहीं किया गया है, इसलिए भूमि की लागत का पूंजीकरण नहीं किया गया है।
कंपनी ने खातीक्र पर किए गए प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसकी राशि ₹ शून्य है
(टिप्पणी संख्या 34 देखें)"

(m)

(n)
₹ शून्य का जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) टिप्पणी-15 एवं टिप्पणी - 9 के तहत दिखाए गए न्यायालय, विभिन्न सरकार के निर्देश के अनुसार बीजी जारी करने के लिए बनाया जाता है।

(o)
क्षेत्र में, __ओपन कास्ट खदानें और ___भूमिगत खदानें हैं, जिनमें से ___ओपन कास्ट खदानें और ___भूमिगत खदानें अनुत्पादक हैं और ___ओपन कास्ट खदानें और __भूमिगत खदानें विकास के अधीन हैं:-

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ह/-
(ए. श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन-09502251

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712077

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:329392E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश गोयल
सदस्यता संख्या: 063582

दिनांक: 19.04.2023
स्थान: अंगुल